2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman (2) Deputy Secretary/ Director (Administration), Ministry of Home Affairs –Member (3) Deputy Secretary/ Director(E), Ministry of Home Affairs – Member	

[F. No.A-42012/38/2015-Ad.II]

P. S. DANGWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैंटीन में समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अकानूनी विभागीय कैंटीन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
प्रबंधक श्रेणी - II	01* (एक) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सम्मिश्रित विधि (प्रतिनियुक्ति के साथ प्रोन्नति)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
सम्मिश्रित विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति के साथ प्रोन्नति) **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य/कारबार की पढ़ाई या अर्थशास्त्र या लोक प्रबंधन में स्नातक डिग्री (ii) किसा सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी या कानूनी संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 के ऐसे विभागीय सहायक प्रबंधक – सह भण्डारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों उन पर बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा, यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन होता है तो, उसे प्रोनत्ती द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय -अध्यक्ष 2. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), गृह मंत्रालय –सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (ई.), गृह मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-42012/34/2015-प्रशा-II]

पी. एस. डंगवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2019

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Non-Statutory Departmental Canteen of the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Non-Statutory Departmental Canteen (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Manager Grade-II	01* (One) 2019 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	2 years for promotees	By composite method (deputation plus promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
By composite method (deputation plus promotion). **Deputation:-** Officers of the central government or state governments or union territories: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in commerce/business studies or economics or public administration of a recognised university or institute (ii) Two years experience in accounts work in any Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory Organisation **Note 1.** The departmental Assistant Manager-cum-Store Keeper in level 4 in pay matrix with ten years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience specified for appointment by deputation will also be considered along -with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for Confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman 2. Deputy Secretary or Director (Administration), Ministry of Home Affairs – Member 3. Deputy Secretary or Director (E), Ministry of Home Affairs – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No.A-42012/34/2015-Ad.II]

P. S. DANGWAL, Under Secy.